

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5 (4) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/पशुआहार/09/ 4909-21 जयपुर,दिनांक 2-3-16

जिला कलेक्टर,
सीकर।

विषय:- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक सहायता/10/336 दिनांक 17.2.2010 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में आपके जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिले के सम्मुख अंकित पशु संख्या हेतु तत्काल प्रभाव से संवत् 2066 की पशु संरक्षण गतिविधियां जारी रहने की अवधि तक के लिए अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम जिला	पशु संख्या
1	सीकर	60000

नोट:- उक्त संख्या पूर्व में (फरवरी,2010) स्वीकृत पशु संख्या को सम्मिलित करते हुए है।

इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

M. K. C. 26/2/16
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक,संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज0 क्रय-विक्रय संघ, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव